अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

अध्याय-III

3.1 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा योजना-सह-वित्त विभाग

3.1.1 डेस्क-बेंचों का अधिक क्रय एवं परिहार्य व्यय

वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसडी) के दर से अधिक दर पर डेस्क-बेंचों के क्रय के कारण ₹ 2.28 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, ₹ 81.54 लाख मूल्य के 1,087 डेस्क-बेंच आवश्यकता से अधिक खरीदे गये, जो बेकार पड़े हुए थे।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.[1]) का नियम 131ई यह निर्धारित करता है कि यदि कोई विभाग केंद्रीय क्रय संगठन (यथा डीजीएसडी)[2]/ राज्य क्रय संगठन द्वारा दर अनुबंधित वस्तुएँ सीधे आपूर्तिकर्ताओं से खरीदता है, तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य, दर अनुबंध में निर्धारित मूल्य-सीमा से अधिक नहीं होगी। पुन:, वित्त विभाग (वि.वि) का निर्देश (फरवरी 2011) यह निर्धारित करता है कि ₹ 1.50 लाख से अधिक मूल्य के सामानों का क्रय व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ खुली निविदा के द्वारा किया जाएगा।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अ.कें.स) की कार्य योजना (2013-15) में शामिल करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी (जि.शि.पदा.), पश्चिमी सिंहभूम ने जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.), पश्चिमी सिंहभूम को 76 उच्च विद्यालयों के लिए ₹ 12.32 करोड़ मूल्य के 16,416 डेस्क-बेंचों (डी.बी.) की आवश्यकता प्रस्तुत किया (दिसंबर 2013)। जि.शि.पदा. ने प्रति विद्यालय 216 की दर से 76 ऐसे उच्च विद्यालयों के लिए गोदरेज कंपनी से डी.बी. क्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिनमें डी.बी. नहीं थे और विद्यार्थी फर्श पर बैठते थे। जिला स्तरीय समिति[3], पश्चिमी सिंहभूम ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया (जनवरी 2014) तथा उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.), पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में एक क्रय समिति[4] का गठन किया। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम ने जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम को जून

---

[1] झारखण्ड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपनाया गया

[2] पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

[3] जिला स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक और जिला वन पदाधिकारी होते हैं , अ.कें.स. के तहत जिले के लिए कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करती है।

[4] इसका गठन उपायुक्त द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, सदस्य, जिला लेखा पदाधिकारी; सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, चाईबासा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र और जिला शिक्षा पदाधिकारी, चाईबासा एवं समन्वयक, जिला योजना पदाधिकारी, चाईबासा थे।

2014 तक डी.बी. क्रय कर लेने का निर्देश दिया (फरवरी 2014)। जि.शि.पदा. ने (मार्च 2014 और जनवरी 2016 के बीच) 16,213[5] डी.बी. का क्रय किया और आपूर्तिकर्ता को (मार्च 2014 और फरवरी 2016 के बीच) ₹ 12.16 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा (नवंबर 2017 और जून 2019 के बीच) में निम्न बातें उद्घाटित हुई:

➢ गोदरेज कंपनी से डी.बी. क्रय करने के निर्णय का औचित्य या प्रति स्कूल 216 डी.बी. की आवश्यकता के आकलन का आधार अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

➢ यद्यपि जि.शि.पदा. पश्चिमी सिंहभूम ने डी.बी. की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की थी (12 फरवरी 2014) तथा तीन निविदाएँ प्राप्त की, निविदाओं को खोलने के लिए आयोजित क्रय समिति ने निविदा हेतु पर्याप्त समय नहीं दिये जाने के आधार पर निविदा को रद्द कर दिया (19 फरवरी 2014)। क्रय समिति द्वारा पुन: निविदा आमंत्रित करने के बजाय, गोदरेज के अधिकृत विक्रेताओं से कोटेशन के माध्यम से डी.बी. क्रय करने का निर्णय लिया (19 फरवरी 2014) तथा छ: कोटेशन प्राप्त किया। क्रय समिति द्वारा निविदा की आवश्यकता की उपेक्षा का निर्णय वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था। पुन:, अभिलेख में यह दिखाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि क्रय समिति ने यह सुनिश्चित किया था कि निविदा दाताओं द्वारा उद्धृत दरें डीजीएसडी दर को समाहित करते हुए बाजार में सबसे कम दर था।

➢ यद्यपि उस अवधि में डी.बी. डीजीएसडी के दर अनुबंध में शामिल था तथापि जि.शि.पदा. ने डीजीएसडी के दर को डी.बी. के लिए अधिकतम मूल्य सीमा के रूप में निर्धारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, क्रय समिति ने प्रति इकाई ₹ 6,097[6] की विद्यमान डीजीएसडी दर के विरुद्ध प्रति इकाई ₹ 7,501[7] की दर से डी.बी. के खरीद की मंजूरी दे दी (मार्च 2014)। फलस्वरूप, 16,213 डी.बी. के खरीद पर ₹ 2.28 करोड़[8] का परिहार्य व्यय हुआ।

➢ उपायुक्त के निर्देशानुसार, जि.शि.पदा. को डी.बी. क्रय हेतु, विद्यालयों में वास्तविक नामांकन के आधार पर आवश्यकता का आकलन करना था। लेखापरीक्षा ने

---

[5] 16,429 डी.बी. (अवशेष राशि से अतिरिक्त 13 डी.बी.) के क्रय आदेश के विरुद्ध परियोजना उच्च विद्यालय, गोइलकेरा में आपूर्ति किये गये 216 इकाईयों के लिए भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा डी.बी.को लगाया नहीं गया था (अक्टूबर 2018 तक)।

[6] प्रति इकाई ₹ 5,348 जोड़ 14 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर

[7] प्रति इकाई ₹ 6,580 जोड़ 14 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर

[8] ₹ 7,501 - ₹ 6,097 = ₹ 1,404 प्रति डी.बी. x 16,213 इकाई

76 में से 22 विद्यालयों में डी.बी. की आवश्यकता का विद्यार्थियों के नामांकन के विरूद्ध तिर्यक जाँच किया (फरवरी 2018) और पाया कि 18 विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के विरुद्ध, ₹ 1.32 करोड़ मूल्य के 1,765 डी.बी. अधिक क्रय किये गए थे जबकि शेष चार विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के सामंजन हेतु अतिरिक्त 1,249 डी.बी. की आवश्यकता थी। इस प्रकार, क्रय वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं था।

➢ जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2019) में यह देखा गया कि ₹ 81.54 लाख मूल्य के 1,087 डी.बी. उनके खरीद के तीन वर्षों से बेकार पड़े थे (***परिशिष्ट 3.1.1***)।

जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम ने कहा (मार्च 2018) कि निविदा आमंत्रित की गई थी और क्रय समिति के निर्णय के अनुसार डी.बी. की खरीद सबसे कम मूल्य उद्धृत करने वाले निविदादाता (गोदरेज का एक अधिकृत विक्रेता) से किया गया था। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि क्रय कोटेशन के माध्यम से किया गया न कि निविदा द्वारा। पुनः, जि.शि.पदा., डीजीएसडी के दर को ध्यान में रखे बिना क्रय करने का न तो औचित्य सिद्ध कर सके और न ही अतिरिक्त डी.बी.को उन विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं करने का कारण बता सके, जहां इनकी आवश्यकता थी।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (जून 2019); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2019)।

पथ निर्माण विभाग

3.1.2 पुल निर्माण पर निष्क्रिय व्यय

पहुँच पथ के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किए बिना संजय नदी पर पुल का कार्य प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप पुल तीन साल तक निष्क्रिय रहा, जिससे ₹ 7.36 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ, साथ ही, वर्ष-भर यातायात का सुरक्षित और सुगम परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 132 के अनुसार आकस्मिक कार्य यथा दरार की मरम्मति आदि को छोड़कर कोई भी निर्माण कार्य ऐसी भूमि पर आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदार असैनिक पदाधिकारी द्वारा विधिवत रुप से न सौंपी गई हो।

सरायकेला-खरसावाँ पथ के 7वें कि.मी. पर संजय नदी के ऊपर, पहुँच पथ सहित उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नवम्बर 2012 में ₹ 6.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) एवं तकनीकी स्वीकृति (टी.स्वी.) प्रदान की गयी, जिसमें भू-अधिग्रहण[9] की लागत भी शामिल थी। इलाके में एक स्टील प्लांट के शुरू होने के कारण यातायात में कई गुना वृद्धि को देखते हुए एवं वर्ष-भर सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित पुल द्वारा, वर्तमान के संकरे तथा अपर्याप्त डुबाऊ (सबमर्सिबल) पुल को प्रतिस्थापित करना था। कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), पथ निर्माण प्रमंडल (प्रमंडल), सरायकेला-खरसावाँ द्वारा किया जाना था।

निविदा (मार्च 2013) किये जाने के बाद, कार्य (पुल तथा पहुँच-पथ का निर्माण) को नवंबर 2014 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 8.19[10] करोड़ की लागत पर एक संवेदक को आवंटित (अप्रैल 2013) किया गया । पुल का निर्माण कार्य पूर्ण (अगस्त 2016) हो गया और संवेदक को ₹ 6.15 करोड़ का भुगतान (मई 2017) विमुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, पहुँच-पथ के निर्माण हेतु, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.), सरायकेला-खरसावाँ को 0.83[11] एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 1.06[12] करोड़ का भुगतान (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2015) किया गया जो प्र.स्वी. एवं त.स्वी. में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधानित राशि (₹ 11 लाख) से अधिक थी। आगे, उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण के लिए उर्जा विभाग को ₹ 15 लाख का भुगतान (मार्च 2014) किया गया जो प्र.स्वी./ त.स्वी. में शामिल नहीं था। इन दोनों भुगतानों को, संशोधित प्र.स्वी. निर्गत कर अभी तक नियमित नहीं किया गया था (सितम्बर 2019)।

लेखापरीक्षा ने का.अभि. के अभिलेखों से पाया (मई 2017 एवं मई 2019) कि जि.भू.अ.पदा. ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के उपरान्त प्रभावित भूस्वामियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु पुन: ₹ 29.49[13] लाख के अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग की (मई 2017)। हालांकि, का.अभि. जि.भू.अ.पदा. को यह राशि विमुक्त (सितंबर 2019) नहीं कर सके क्योंकि का.अभि. द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा उपयोगी

---

[9] ₹ 0.11 करोड़।

[10] संशोधित दर की अनुसूची के आधार पर तैयार ₹ 7.63 करोड़ के परिमाण विपत्र से 7.23 प्रतिशत अधिक।

[11] कोलबुरूडीह मौजा: 0.32 एकड़ एवं गोविन्दपुर मौजा: 0.51 एकड़।

[12] जि.भू.अ.पदा. सरायकेला-खरसावाँ के माँगों (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2015) पर

[13] अधिनियम के अनुच्छेद 27 (₹ 26.41 लाख) एवं 31 (₹ 3.08 लाख) के अनुसार

सेवाओं के स्थानांतरण की लागत सहित त.स्वी. से विचलन (₹ 5.28[14] करोड़) को प्रदर्शित करते हुए ₹ 12.40[15] करोड़ राशि का तैयार (जुलाई 2017) किया गया पुनरीक्षित प्राक्कलन, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केन्द्रीय निरूपण संगठन (के.नि.सं.) द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद लगभग दो वर्ष विलंब से, जून 2019 में अनुमोदित किया गया। आगे, सितंबर 2019 तक विभाग द्वारा संशोधित प्र.स्वी. जारी नहीं किया गया है।

इस प्रकार, पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका तथा अगस्त 2016 में पुल निर्माण के बाद से लगभग तीन वर्षो तक पुल उपयोग मे नहीं लाया जा सका जिससे पुल निर्माण पर ₹ 7.36 करोड़ का व्यय निष्क्रिय साबित हुआ, साथ ही वर्ष-भर सुरक्षित एवं सुगम यातायात को सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

पहुँच-पथ के अभाव में संजय नदी पर निष्क्रिय पड़े पुल को दिखाती तस्वीर

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने जवाब में कहाँ (सितम्बर 2019) कि संशोधित प्र.स्वी. की प्राप्ति के बाद कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

---

[14] परिमाण में विचलनः ₹ 1.03 करोड़, दर मे विचलन ₹ 2.79 करोड़, मूल्य समायोजन: ₹ 5.18 लाख आकस्मिकता में वृद्धि: ₹ 1.97 लाख, भूमि अधिग्रहण में वृद्धि: ₹ 1.23 करोड़ एवं उपयोगिता स्थानांतरण (अतिरिक्त मद) ₹ 15.21 लाख।

[15] फरवरी 2019 में पुनरीक्षित ₹ 12.20 करोड़।

पथ निर्माण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

3.1.3 निष्क्रिय पाईप पर व्यय

पथ निर्माण विभाग द्वारा ट्रैफिक रोटरी कार्य को बीच में बंद करने तथा उपयोग के कई अवसरों के बावजूद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आठ वर्षों में डी.आई. जलापूर्ति पाईप के उपयोग में विफलता के कारण ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध रहने के अलावा पाइप पर ₹ 2.56 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता,[16] निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने एवं विस्तृत प्राक्कलन की मंजूरी से पूर्व भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करती है।

काँटाटोली चौक, राँची पर यातायात के भीड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक रोटरी का निर्माण एवं शाखा-पथों के उन्नयन हेतु पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 18.63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (अगस्त 2010) प्रदान की गई। इस कार्य में ट्रैफिक रोटरी का निर्माण (₹ 7.15 करोड़), जलापूर्ति पाइप लाइनों का स्थानांतरण (₹ 4.10 करोड़), विद्युत लाइनों का स्थानांतरण एवं अधिष्ठापन (₹ 0.40 करोड़) तथा 0.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (₹ 6.94 करोड़) शामिल था।

आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.), राँची को राशि हस्तांतरण से पहले, पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 6.74 करोड़ की लागत पर ट्रैफिक रोटरी के कार्य[17] का निविदा आमंत्रित किया गया (अक्टूबर 2010) तथा इस कार्य को सितम्बर 2011 तक पूरा करने के लिए एक संवेदक को आवंटित (मार्च 2011) किया गया। आगे, कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), प.नि.वि. पथ प्रमण्डल (प.प्र.), राँची द्वारा भूमि अधिग्रहण, जलापूर्ति पाइप लाइनों का स्थानांतरण और अधिष्ठापन तथा विद्युत लाइनों के स्थानांतरण के लिये तीन कार्यालयों[18] को ₹ 6.76 करोड़ का हस्तांतरण (दिसम्बर 2010 और मार्च 2011 के बीच) किया गया।

---

[16] अनुबंध 'ए' - मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग (सतर्कता प्रकोष्ठ) संकल्प सं. 948 दिनांक 16 जुलाई 1986, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहित बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 4.5 और 7.5।

[17] रोटरी, शाखा-पथ तथा नाली निर्माण कार्य।

[18] जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.): ₹ 2.37 करोड़, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.), स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल (स्व.वि.प्र.) राँची: ₹ 3.99 करोड़ तथा विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची: ₹ 40 लाख।

का.अभि., प.नि.वि., प.प्र., राँची के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया (दिसंबर 2017) कि अक्टूबर 2013 तक संवेदक द्वारा प्रस्तावित ट्रैफिक रोटरी के साथ लगे हुए सड़क और नाली का कार्य[19] किया गया एवं संवेदक को ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया गया। तत्पश्चात, प्रधान सचिव, प.नि.वि. के आदेश पर कार्य को बंद कर दिया गया (दिसम्बर 2013) क्योंकि अधिसूचना की तिथि (मार्च 2012) से निर्धारित दो वर्षों की समयावधि के भीतर पंचाट[20] की घोषणा में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण, जि.भू.अ.पदा., राँची द्वारा आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जि.भू.अ.पदा., राँची ने अगस्त 2019 में कार्यपालक अभियन्ता, प.नि.वि. को ₹ 2.37 करोड़ वापस कर दिये थे।

इसी बीच, का.अभि., पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.), स्वर्णरेखा वितरण प्रमंडल (स्व.वि.प्र.), राँची भी, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही, ₹ 3.86 करोड़ की लागत पर जलापूर्ति पाइप लाइन का स्थानांतरण एवं अधिष्ठापन का कार्य नवम्बर 2011 तक पूर्ण करने के लिए टर्न-की आधार पर एक अन्य संवेदक को आवंटित कर दिया (जुलाई 2011)। संवेदक ने 3,406[21] मीटर डी.आई. के-7 पाइप का क्रय किया (सितम्बर 2011) तथा उसे जुलाई 2016 तक ₹ 2.74 करोड़ का भुगतान किया गया। यह कार्य भी पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा भूमि की अनुपलब्धता के कारण जून 2016 में बंद कर दिया गया। खरीदे गए पाइपों में से, मात्र 114 मीटर ही बिछाया गया था (नबम्बर 2011), जबकि ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के 3,292[22] मीटर पाइप, क्रय की तारीख से आठ वर्षों तथा एकरारनामा बंद होने की तिथि से तीन वर्षों तक स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल के परिसर में निष्क्रिय पडे हुए थे (सितम्बर 2019)।

---

[19] मिट्टी कार्य, सीमेंट कंक्रीट का फुटपाथ, सीमेंट कंक्रीट तथा अलकतरा कार्य।

[20] पंचाट अर्थात भूमि अधिग्रहण के लिए प्रत्येक रैयत को दी जानेवाली कुल क्षतिपूर्ति राशि का अंतिम आकलन।

[21] 150 मि.मी.: 788 मीटर, 200 मि.मी.: 1000 मीटर तथा 750 मि.मी.: 1618 मीटर, कुल 3,406 मीटर।

[22] 150 मि.मी. 788 मी., 200 मि.मी. 1000 मी., तथा 750 मि.मी. 1504 मीटर कुल 3,292 मीटर निष्क्रिय पड़ा रहना।

लेखापरीक्षा ने दो[23] पेय.एवं.स्व. प्रमण्डलों में डी.आई.के-7 पाइपों के उपयोग की जाँच की (मार्च 2019) और पाया कि यद्यपि, दिसंबर 2016 और जनवरी 2018 के बीच अलग-अलग योजनाओं में स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल सहित इन प्रमण्डलों द्वारा समान प्रकार के 150 मि.मी. और 200 मि.मी. पाइपों का उपयोग किया गया था ***(परिशिष्ट-3.1.2***), तथापि बेकार पड़े पाइपों को उपयोग में नहीं लाया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि शहरी विकास और आवास विभाग ने जुडको[24] द्वारा उसी स्थल पर ₹ 51.70 करोड़ के एक फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी दी (जुलाई 2016)। इस कार्य में भी उपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण शामिल था, जिसमें पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा दिए गए विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, डी.आई के-7 पाइप[25] बिछाने की आवश्यकता थी। तथापि, निष्क्रिय पाइपों के उपयोग का विचार इस कार्य में नहीं किया गया, जिसका कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची ने कहा (अप्रैल 2018) कि यदि भविष्य में किसी अन्य योजना में समान विशिष्टता के पाइपों की आवश्यकता होगी, तो उनका उपयोग कर लिया जायेगा। यह जवाब, लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को प्रकाश में लाने के पश्चात का विचार है, क्योंकि का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची, मार्च 2018 तक उपरोक्त दो प्रमण्डलों के कार्यों में अथवा फ्लाईओवर के उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण में इन पाइपों का उपयोग नहीं करने का कोई औचित्य नहीं बता सके।

अतः, प.नि.वि. द्वारा ट्रैफिक रोटरी कार्य तथा पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण का कार्य, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना आरंभ करने तथा पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा कई अवसरों के बावजूद निष्क्रिय पाइपों के उपयोग करने में विफल रहने के कारण ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के पाइप लगभग आठ वर्ष से निष्क्रिय पड़े थे। इसके अलावा, संबंधित कार्यालयों[26] में आठ वर्षों से अधिक समय से ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही क्योंकि ये कार्य, बाधा-रहित भूमि के अभाव में निष्पादित नहीं किए जा सके।

---

[23] पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल (पेय.एवं.स्व.प्र.), राँची पश्चिमी और पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.) स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल (स्व.वि.प्र.), राँची

[24] झारखण्ड अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि.

[25] 900 मि.मी, 750 मि.मी, 150 मि.मी, 100 मि.मी - 1500 मीटर, 600 मि.मी- 490 मीटर, 200 मि.मी - 30 मीटर

[26] ₹ 40 लाख (विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची) और बचा हुआ ₹ 1.25 करोड़ (कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वर्णरेखा वितरण प्रमंडल के पास)।

विभागों को मामले की सूचना दिए जाने (जुलाई 2019) पर, अभियंता प्रमुख ने का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची को तीन वर्षों तक पाइपों का उपयोग नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2019) और अधीक्षण अभियंता तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (क्षे.मु.अभि.) के परामर्श से सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सचिव, पेय.एवं.स्व. विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2019) कि क्षे.मु.अभि. को पाइपों का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है। प.नि.वि. से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2019)।

कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले तथा ग्रामीण विकास विभाग

3.1.4 स्टेडियम निर्माण पर निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण तकनीकी स्वीकृति के कारण खेल के मैदान के बिना स्टेडियम के निर्माण के परिणामस्वरूप निष्क्रिय संरचना पर ₹ 1.28 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि) संहिता का नियम 126 निर्धारित करता है कि तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलनों की सही गणना तथा पर्याप्त आँकड़ों पर आधारित होने की गारंटी देता है। झा.लो.नि.वि आगे प्रावधानित करता है कि प्राक्कलन में स्थल प्रतिवेदन शामिल होना चाहिए जिसमे प्रस्तावित स्थल की स्थिति का विवरण तथा विहित उद्देश्य हेतु उसकी उपयुक्त होने की पुष्टि हो।

तकनीकी महाविद्यालय[27] गढ़वा में एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 1.08[28] करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दिसम्बर 2008 में प्रदान की गई तथा मुख्य अभियंता (मु.अभि.), ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा ₹ 1.10 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गई (जुलाई 2009)। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा, कार्यपालक अभियंता (का.अभि,), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं.-2, गढ़वा को निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया (मार्च 2009) जिसमें खेल के मैदान का निर्माण (स्थल-निर्माण एवं समतलीकरण द्वारा मैदान की तैयारी), पैविलियन भवन, गैलरी, चाहरदीवारी तथा जलापूर्ति एवं विद्युतीकरण शामिल था। निविदा (अगस्त 2009) के उपरांत, ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर कार्य को एक संवेदक को आवंटित किया गया (जनवरी 2010), जिसे अप्रैल 2011 तक समाप्त करना था।

---

[27] स्व. गोपीनाथ सिंह जन सेवा ट्रस्ट तकनीकी महाविद्यालय

[28] पुनरीक्षित (मार्च 2013) ₹ 1.42 करोड़

लेखापरीक्षा द्वारा प्रमण्डल के अभिलेखों में पाया गया (दिसम्बर 2017 तथा मई 2019) कि प्रस्तावित निर्माण स्थल चट्टानों से भरा पड़ा था। तथापि, न तो का.अभि., जिन्होंने प्राक्कलन तैयार (जुलाई 2009) किया था और न ही मु.अभि., जिन्होंने प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दी थी, स्थल को समतल करने हेतु आवश्यक चट्टानों को हटाने की मात्रा की गणना की थी। प्राक्कलन में, चट्टानों को हटाने के लिए केवल ₹ 0.22 लाख की एक-मुश्त राशि का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, का.अभि. तथा मु.अभि. झा.लो.नि.वि. संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में असफल रहे। स्थल जाँच प्रतिवेदन, यदि कोई था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिणामस्वरूप, खेल के मैदान का स्थल-निर्माण एवं समतलीकरण का कार्य संवेदक द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा सका (अक्टूबर 2019) और ₹ 1.28[29] करोड़ की लागत पर केवल पैवेलियन भवन, गैलरी तथा चाहरदीवारी (अंशत:) को पूर्ण किया गया (जुलाई 2012)। यद्यपि पैवेलियन भवन तथा गैलरी के स्थल पर स्थित चट्टानों को हटाने का कार्य अतिरिक्त मद के रूप में किया गया तथा संवेदक को ₹ 32.83 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2013), तथापि खेल के मैदान से चट्टानों को हटाने का कार्य संवेदक को नहीं सौंपा गया।

का.अभि. ने उपायुक्त, गढ़वा (अगस्त 2012) तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग को खेल के मैदान के समतलीकरण की आवश्यकता के संबंध में सूचित कर दिया था (नवम्बर 2015 तथा सितम्बर 2016)। तथापि, का.अभि. द्वारा खेल के मैदान क्षेत्र[30] तथा संरक्षण दीवार के अवशिष्ट कार्य के लिए ₹ 1.24 करोड़ का अलग से प्राक्कलन तैयार कर, केवल जनवरी 2018 में अर्थात मूल प्राक्कलन के अनुमोदन के आठ वर्ष से अधिक के पश्चात, विभाग को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सका। इसके अलावा, विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2019)।

इस प्रकार, निष्क्रिय संरचनाओं पर किया गया ₹ 1.28 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि खेल के मैदान का कार्य पूर्ण किए बगैर स्टेडियम को उपयोग में नहीं लाया जा सका।

---

[29] ₹ 95.57 लाख दिसम्बर 2012 में तथा ₹ 32.83 लाख मार्च 2013 में।

[30] ₹ 54.76 लाख।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2019), ग्रामीण विकास विभाग (कार्यकारी विभाग) ने संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य प्रभाग को संबंधित का.अभि. तथा मु.अभि. पर जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देशित किया (सितम्बर 2019)। कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ग्रामीण विकास विभाग से पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

राँची
दिनांक: 20 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई 2020